

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08

जयपुर दिनांक 28/2/2022

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आपराधिक प्रकरणों के बढ़ते हुए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता-द्वितीय, जोधपुर का एक नवीन पद सृजित किया जाता है।

नव सृजित राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता-द्वितीय, जोधपुर को मासिक रिटेनरशिप, एपीयरेन्स फीस एवं ड्रापिंग सैटलिंग चार्जेज का भुगतान निम्नानुसार देय होगा:-

1.	रिटेनरशिप फीस	Rs. 49,194/-with enhancement @ 10% every year w.e.f. Financial year 2022-23 (vide order dated 27/01/2021)
2.	एपीरियेन्स फीस	Rs. 10,000/-per case per day, subject to a maximum 5 hearings in a day (vide order dated 14/10/2021)
3.	ड्रापिंग एण्ड सैटलिंग चार्जेज	Rs. 2600/- per case (vide order dated 27/01/2021)

उक्त नवीन पद सृजन की स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई0डी0 संख्या 102200928 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुशरण में जारी की जाती है।

ह०

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री/निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
5. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
7. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 102200928 दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
8. राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिल्स/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
17. संबंधित कोषाधिकारी..... ।
18. सहायक लेखाधिकारी-I, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
19. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि